श्रीमती कलाबाई आदि विरूद्ध काडू आदि

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3241–दो/14 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-12-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता, स्थगन एवं समयसीमा के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 104/2011–12/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24–9–14 को पेश की गई है जो अवधि बाह्य है । विलंब क्षमा का जो आवेदन दिया गया है उसमें जानकारी दिनांक 5–8–14 को मिलना बताया गया है ौर उसके बाद मलेरिया बुखार से पीड़ित होना बताया है किंतु इसकी पुष्टि में कोई चिकित्सीय प्रमाणपत्र नहीं है और ना ही इलाज किससे कराया इसका उल्लेख है । ऐसी स्थिति विलंब सद्भावनापूर्ण प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह पुनरीक्षण अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जाता है । 2– आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	15/12/14

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R 3241-I/14

1. श्रीमती कलावती पत्नी पृथ्वीराज पुत्री अमरलाल आयु 75 वर्ष निवासी ग्राम हरीपुरा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. केलाशी पत्नी शकंर सिंह पुत्री अमर लाल आयु 70 वर्ष निवास ग्राम नया गांव ढोंढपुर तह. बडोदा जिला श्योपुर

.......निगरानीकर्ता

बनाम

1. काडू पुत्र फूलचंद
2. नाथूलाल पुत्र मडडूलाल
3. बृजबल्लभ पुत्र अमरलाल
4. धर्मराज पुत्र चतरसिंह
5. जसवंत पुत्र रामलाल
6. बलवंत पुत्र शम्भूसिंह समस्त निवासीगण ग्राम पहेला तहसील कराहल जिला श्योपुर

........रेस्पोडेन्ड

द्वारा आज दि. 24.9.14 को प्रस्तुत

24.9.14 क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

24/9/14